# छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
## शंकर नगर, रायपुर

**अपील प्रकरण क्रमांक 117/2006**

| | | |
|---|---|---|
| श्री गोपाल प्रसाद साहू,<br>सहायक शिक्षक,<br>शहीद स्मारक पूर्व माध्यमिक शाला 'अ',<br>निवास–मठपारा,<br>रायपुर (छत्तीसगढ़) | ........... | अपीलार्थी |

विरूद्ध

| | | |
|---|---|---|
| 1. जन सूचना अधिकारी,<br>जिला शिक्षा अधिकारी,<br>स्कूल शिक्षा विभाग,<br>रायपुर (छत्तीसगढ़) | ........... | प्रतिअपीलार्थी |
| 2. जिला शिक्षा अधिकारी,<br>रायपुर (छत्तीसगढ़) | ........... | प्रतिअपीलार्थी |
| 3. संचालक,<br>लोक शिक्षण,<br>रायपुर (छत्तीसगढ़) | ........... | प्रतिअपीलार्थी |

## :: आदेश ::
( 08 अगस्त 2006 )

श्री गोपाल प्रसाद साहू, सहायक शिक्षक के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–19(3) के अंतर्गत संचालक, लोक शिक्षण को प्रस्तुत अपील दिनांक 16–2–2006 पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने जन सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर को आवेदन पत्र दिनांक 20–12–2005 के द्वारा कुछ सूचनाएं मांगी थी, जिसमें कि स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 20–10–2004 संचालक, लोक शिक्षण के पत्र दिनांक 6–11–2004 तथा जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र दिनांक 1–12–2004 की प्रमाणित प्रतिलिपियां एवं उक्त आदेशों द्वारा शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों से सम्मिलित कर्मचारियों के वेतनमानों की जानकारी तथा नियमों के विपरीत संविलियन किये गये सहायक शिक्षकों के पदोन्नति संबंधी जानकारी चाही गई थी। श्री गोवर्धन प्रसाद दुबे, सहायक शिक्षक को नियम विरूद्ध पदोन्नति किये जाने के आदेश की जानकारी चाही थी। जिला शिक्षा

अधिकारी के द्वारा उक्त आवेदन–पत्र के संबंध में आवेदक को दिनांक 23–1–2006 को वांछित आदेशों की प्रतिलिपियां प्रदान की गई। संविलियन के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा बताया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 20–10–2004 तथा संचालक, लोक शिक्षण के आदेश दिनांक 6–11–2004 एवं 1–12–2004 में उल्लेखित आदेश में अंकित कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य किसी का संविलियन नहीं किया गया है। श्री गोवर्धन प्रसाद दुबे के पदोन्नति आदेश की प्रतिलिपि दी गई तथा बतलाया गया कि पदोन्नति नियमानुसार की गई है। अपीलार्थी के द्वारा आयोग के समक्ष बताया गया कि पदोन्नति नियमानुसार नहीं हुई है।

आयोग के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी किया गया तथा दोनों पक्षों को सुना गया। आवेदक का मुख्य बिन्दु यही है कि पदोन्नति गलत हुई है, अन्य विभागों से संविलियन किये गये शिक्षकों की पदोन्नति गलत हुई है। अपीलार्थी ने यह भी बतलाया कि पदोन्नति में नियमों का पालन नहीं हुआ है। प्रतिअपीलार्थी ने बतलाया कि अपीलार्थी को उसके द्वारा आवेदन पत्र में जानकारी दिनांक 23–1–2006 को दे दी गई थी। अपीलार्थी ने दिनांक 20–12–2005 को आवेदन दिया था। अतः जानकारी देने में कोई विशेष विलंब नहीं हुआ है।

प्रकरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को विभाग में हुई पदोन्नति के विरूद्ध शिकायत है। पदोन्नति नियमानुसार हुई अथवा नहीं इस संबंध में आयोग को विचार करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी ने अपना तर्क प्रस्तुत करते समय यह अवश्य स्वीकार किया कि यदि पदोन्नति में नियमों का पालन नहीं हुआ है तो देखकर सुधार कर लेंगे। चूंकि अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित जानकारी प्रदान कर दी गई है तथा इसमें कोई विशेष विलंब नहीं हुआ है। केवल दो दिन का विलंब है तथा यह विलंब भी जानबूझकर नहीं किया गया है। अतः अर्थदण्ड किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इस आदेश की एक प्रति संचालक, लोक शिक्षण को भी भेजी जावे कि वे यह सुनिश्चित करें कि यदि पदोन्नति के संबंधों में नियमों का पालन नहीं हुआ हो तो समुचित आवश्यक कार्यवाही करें।

अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

**( ए. के. विजयवर्गीय )**
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त